न्यायालय सिविल जज सी.डि0, अमरोहा।

लघुवाद सं0 02/2018

कामिल रजा .... बनाम... फरजाना

08.07.2019— वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । पत्रावली प्रा0पत्र 39ग के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रा0पत्र 39ग :— प्रतिवादीगण श्रीमती फरजाना आदि की तरफ से प्रा0पत्र इस आशय का दिया गया कि वाद पत्र के पैरा—16 जो कि क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वादी ने वादी का मूल्यांकन 18,243/—रू0 जाहिर किया है तथा वाद पत्र के पैरा17ब में दि0 1.2.2014 से दि0 13.04.2017 तक के किराये की धनराशि 3843/—रू0 व पैरा 17स में हर्जा इस्तेमाल के रूप में 40/—रू0 प्रतिदिन की दर से दि0 14.04.2017 से दि0 13.03.2018 तक 13200 रू0 तलब करना जाहिर किया है। वाद पत्र के पैरा 16 में जाहिरकर्दा तथ्यों के अनुसार उक्त लघुवाद की के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः विधिनुसार आदेश पारित करने की याचना की गयी।

आपत्तिकर्ता/वादी की तरफ से आपत्ति 41ग दाखिल कर कथन किया गया कि वाद प्रस्तुति के समय सिविल जज जू0डि0 प्राप्त नहीं था। यदि न्यायालय की राय में वाद का श्रवण सिविल जज जू0डि0/लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में होना अपेक्षित है तो वादी को अंतरण में कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने यह लघुवाद प्रतिवादीगण के विरूद्व किराया बेदखली व हर्जा इस्तेमाल के अनुतोष हेतु दायर किया है। वाद पत्र के पैरा 16 से स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रतिवादीगणे किराये की धनराशि व हर्जा इस्तेमाल के रूप में 18243/—रू0 की बावत अनुतोष तलब किया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत शोभित निगम बनाम श्रीमती बटुलन व अन्य जे.सी.एल.आर0 2017(1) पेज 168 में पारित सिद्धांत के अनुसार 25,000/—रू0 तक के लघुवाद वादों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

उसी प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत जे. सी.एल.आर. 2016 पेज 42 शारदा बनाम सोनिया आदि में पारित विधि व्यवस्था के अनुसार यदि न्यायालय को वाद की सुनवाई आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तो वादी का वादी आदेश 7 नियम 10 स.पी.सी. में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत वापस किया जाना चाहिए।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा 18243/—रू0 का मूल्यांकन करते हुए प्रस्तुत वाद योजित कर अनुतोष की याचना की गयी है। इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत लघुवाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र 39ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र39ग स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार वादीगण की आपत्ति निस्तारित की जाती है। इस लघुवाद का सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त न होने के कारण वादी का लघुवाद सक्षम न्यायालय में दायर करने हेतु वापस किया जाता है। तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही उपरानत पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज सी.डि.
जनपद अमरोहा।